क्रम-संख्या--648 (घ)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार 6 अक्तूबर, 1978

आश्विन 14, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2672/सत्रह-वि0-1--88-78

लखनऊ, 6 अक्तूबर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 29 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1978]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

ऐक्ट संख्या 4, 1939 में धारा 66-बी का बढ़ाया जाना

2--मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 66-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

राज्य परिवहन उपक्रमों की यात्री गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने के लिए शास्ति

"66-बी (1)--कोई यात्री जो किसी राज्य परिवहन उपक्रम की किसी यात्री गाड़ी में यात्रा करते समय या यात्रा कर लेने पर, की गयी यात्रा के लिए उपक्रम द्वारा निर्धारित दर पर किराया या उसका भाग देने से बचता है या बचने का प्रयास करता है तो उपक्रम के प्रधान प्रबन्धक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा मांग करने पर किराया और यात्री कर की असंदत्त धनराशि के अतिरिक्त, असंदत्त किराया और यात्री कर के बराबर अतिरिक्त प्रभार राशि या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, का देनदार होगा।

स्पष्टीकरण--यात्री ने किस स्टाप से यात्रा प्रारम्भ की, इस बारे में सन्देह होने की स्थिति में, किराये की गणना प्रारम्भिक बस स्टेशन से की जायगी।

(2) कोई यात्री जो उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध की स्थिति में एक सौ रुपया और किसी अनुवर्ती अपराध की स्थिति में तीन सौ रुपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट, उपक्रम के अधिकारी या सेवक, और उनमें से किसी के द्वारा सहायता के लिए बुलाये गये समस्त व्यक्तियों के लिए, अपराधी को गिरफ्तार करना और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंप देना विधिपूर्ण होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना से अधिकृत राज्य परिवहन उपक्रम का कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन उपधारा (1) के अधीन असंदत्त शेष धनराशि और प्रशमन फीस की ऐसी धनराशि के, जिसे वह उचित समझे और जो अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से अधिक न हो, वसूल हो जाने पर, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,--

(एक) अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी पर ऐसे अपराध के लिए अभियोग नहीं चलाया जायगा, और यदि वह अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति के समान होगा।

स्पष्टीकरण:--इस धारा में, पद "राज्य परिवहन उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो धारा 68-ए के खण्ड (बी) में उसके लिए दिया गया है।

धारा 67 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (2) में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

(सी) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह कन्डक्टर या ड्राइवर को ऐसी यात्रा की घोषणा करे जिसे वह गाड़ी में करना चाहता हो या कर चुका हो, और ऐसी सम्पूर्ण यात्रा के लिए किराये का भुगतान करे और उसके लिए व्यवस्थित टिकट प्राप्त करे।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2672/XVII-V-1—88-1978

Dated Lucknow, October 6, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 29,1978 :

THE MOTOR VEHICLES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

[U.P. Act no. 32 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

An

ACT

further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, *in its application to Uttar Pradesh*

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint in that behalf.

Insertion of section 66-B in Act IV of 1939.

2. *After* section 66-A of the Motor Vehicles Act, 1939 (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be *inserted*, namely :—

Penalty for ticketless travel in stage carriages of State Transport Undertakings.

"66-B. (1) Any passenger who, while travelling or having travelled in a stagecarriage of a State Transport Undertaking avoids or attempts to avoid the payment of the fare for the journey undertaken by him at the rate fixed by the undertaking, or part of such fare, shall, on demand by any officer or servant of the undertaking authorised by general or special order in this behalf by its General Manager, be liable to pay, in addition to the unpaid amount of fare and passenger-tax, an excess charge of an amount equal to the unpaid fare and passenger tax or five rupees, whichever is greater."

Explanation—In case of doubt as to the stop from which such passenger commenced the journey, the fare shall be calculated from the starting station.

(2) Any passenger who fails to pay the amounts payable by him under sub-section (1) or any part thereof shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees in case of first offence and to three hundred rupees in case of any subsequent offence.

(3) An offence punishable under this section shall be cognizable and bailable and it shall be lawful for the officer or servant of the undertaking referred to in sub-section (1), and all persons called in by any one of them for assistance, to arrest the offender and hand him over to the officer-in-charge of the nearest police station.

(4) An officer of the State Transport Undertaking empowered by the State Government in this behalf by notification may compound an offence punishable under this section, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of the amounts remaining unpaid under sub-section (1) together with such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding one-half of the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Explanation—In this section, the expression "State Transport Undertaking" shall have the meaning assigned to it in clause (*b*) of section 68-A.

Amendment of section 67.

3. In section 67 of the principal Act, in sub-section (2), *for* clause (*c*) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) require a passenger to declare to the conductor or driver, the journey he intends to take or has taken in the vehicle and to pay the fare for the whole of such journey and to obtain any ticket provided therefor; "

By order,
R.C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 571 राजपत्र (हि०)—6-10-78(2307)-1978—2083 (मे०)